दिनांक 9/2/18 को पेश हो।

9/2/18 पत्रावली प्रस्तुत। पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 23/4/18 को पेश हो।

उदाराम

ललिता राठौड़
सरपंच
ग्राम पंचायत झाब
पं. स. चित्रवाणा (जालोर)

8/5/18 पत्रावली आज पेशी से गिरकर राजस्व लोक अदालत कैम्प-झाब में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में हमारा राजिनामा हो गया है अतः यह प्रार्थना पत्र मैं इस न्यायालय में आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। इसलिये मेरा प्रा० पत्र (212 Rt Act) जरिये बिड्रो खारीज फरमावें। जिस पर सुना गया। प्रार्थी उदाराम की पहचान पटवारी व सरपंच झाब ने की। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये बिड्रो खारीज किया जाता है। पत्रावली कैसलशुमार एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

मैं व्यस्त होने से। पत्रावली दि. 17.11.18 को पेश हो।